डीजी परिपत्र संख्याः 44/2013

देवराज नागर
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकःलखनऊः अगस्त 5, 2013

प्रिय महोदय,

आप सभी अवगत हैं कि विगत वर्षो में इण्टरनेट सेवाओं का बहुत विस्तार हुआ है। विशेषकर, जहाँ एक ओर स्पेशल नेटवर्किंग साइट्स ने समाज में सूचनाओं के आदान-प्रदान में क्रान्तिकारी गति प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर इनका प्रयोग धार्मिक उन्माद फैलाने, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने, संस्थाओं के प्रति दुष्प्रचार फैलाने आदि के लिए आपराधिक षडयन्त्र के रूप में किया जा रहा है। पिछले दिनों, सर्वाधिक शिकायतें फेसबुक पर बने पेज/प्रोफाइल से सम्बन्धित पायी गयीं।

अग्रसक्रिय निगरानी **(Proactive surveillance)**:-

इस परिप्रेक्ष्य में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने स्तर से फेसबुक तथा अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स/इण्टरनेट पेजों पर अग्रसक्रिय (प्रोएक्टिव) रहते हुए निगरानी रखें। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का दुष्प्रचार फैलाने के लिए फेसबुक पर पेज बनाए जाते हैं। ऐसे पेज पर प्रस्तुत की गई विषयवस्तु को पोस्ट कहते हैं। इस पेज को देखने वाले (user) अन्य यूजर्स के साथ साझा (share) करके इस आपत्तिजनक पेज का प्रचार करते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा पेज बनाने वाला बेतरतीब ढंग से (randomly) फेसबुक प्रोफाइल्स को आमंत्रण (invite) भेजता है।

अतः फेसबुक पर आपत्तिजनक पेज/प्रोफाइल की तलाश के लिए पुलिस को भी एक पेज/प्रोफाइल (खोज करने हेतु) बनानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त सर्च इंजन जैसे google आदि पर भी सम्भावित आपत्तिजनक सामाग्री (content) नियमित खोजा जाना चाहिए।

आपके जनपदों में साइबर क्राइम अन्वेषण हेतु प्रशिक्षित कर्मियों को उपरोक्त समस्त जानकारी दी गई है। आप इनका उपयोग इस कार्य हेतु करें।

पेज/प्रोफाइल को अवरुद्ध (Block) करने की कार्यवाही-

यदि खोज के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री (Page/Profile/comment) प्रकाश में आती है तो सर्वप्रथम उनका विवरण प्राप्त करते हुए उसे फेसबुक से विलोप (delete) कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित चरणों में कार्यवाही करें।

1. आपत्तिजनक पेज/प्रोफाइल का यू0आर0एल0 (एड्रेस बार में अंकित स्ट्रिंग) अंकित करते हुए उसके क्रिएशन (Creation) का आई0पी0 एड्रेस, डेट, टाइम (टाईम फारमेट सहित) तथा अल्प अवधि का लॉग-इन डिटेल्स (Login details) तथा आपत्तिजनक पेज/प्रोफाइल को डिलीट करने हेतु धारा-91 दंप्रसं के अर्न्तगत नोटिस राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर/सील सहित तैयार करें। इस नोटिस में अपना ई-मेल आई0डी0 अवश्य अंकित करें। इस नोटिस में आपत्तिजनक विषयवस्तु और फोटोग्राफ का link अवश्य अंकित करें जिससे Facebook को विषयवस्तु को हटाने तथा आई.पी. डिटेल उपलब्ध कराना आसान हो। यह अवश्य ध्यान में रखा जाय कि पेज/प्रोफाइल को तत्काल हटाने के लिए औचित्य स्पष्ट रहे। मात्र विषयवस्तु को हटाने का आग्रह पर्याप्त नही होगा।

2. उक्त तैयार नोटिस को स्कैन करके records@fb.com तथा प्रतिलिपि jwu@fb.com को भेजें।

3. फेसबुक ने पुलिस/LEAs (Law Enforcement Agencies) के लिए ऑन लाईन कम्पलेन्ट पोर्टल (Online Complaint Portal) भी शुरू किया है, जिसका उपयोग करें। इस पोर्टल के माध्यम से LEA's 91 CrPC की नोटिस के माध्यम से 90 दिनों के लिए digital evidence संरक्षित करा सकते हैं। उक्त अवधि को बढ़ाने हेतु 90 दिवस के भीतर पुनः 91 CrPC की नोटिस भेजी जा सकती है।

4. इसके अतिरिक्त आपत्तिजनक सामाग्री के सभी पेजों का स्क्रीनशॉट (Screenshot) लेकर सुरक्षित रखें, जिसका प्रयोग आवश्यता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में किया जा सके।

5. उल्लेखनीय है कि फेसबुक की सुदृढ़ प्रति दुष्प्रेरण (anti-abuse) नीति है जिसका प्रयोग कर कोई भी उपयोगकर्ता किसी आपत्तिजनक प्रोफाइल को ब्लाक करा सकता है। इसके लिए प्रोफाइल पर सेटिंग्स (Setting) में जाकर 'ब्लाक' कराने के विकल्प (Option) को चुना जा सकता है। यदि आपके पास काफी शिकायतकर्ता आते है तो उन्हें यह जानकारी अधिकाधिक दें और उनसे अनुरोध करें कि वे भी अपनी तरफ से Facebook को प्रोफाइल block करने के लिए उपरोक्तानुसार निवेदन भेजें।

शिकायत प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही:-

यदि किसी व्यक्ति या संस्था से शिकायत प्राप्त होती है अथवा खोज के दौरान कोई ऐसी सामग्री मिलती है जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने अथवा किसी व्यक्ति/समूह को जीवन भय की आसन्न स्थिति पैदा हो गई हो तो तत्काल उचित धाराओं का अभियोग पंजीकृत करके निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाए:-

(अ) यदि ऐसा व्यक्ति प्रोफाइल में दिये गये विवरण से चिन्हित किया जा सकता है तो उसके द्वारा पोस्ट की गयी सामग्री की संवेदनशीलता बताते हुए ऐसी सामग्री तत्काल हटा लेने के लिए सहमत करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो सम्यक विधिक कार्यवाही की जानी चाहिए।

(ब) पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित पेज/प्रोफाइल/पोस्ट का उल्लेख करते हुए पूर्व बिन्दु-1 के अनुसार विवरण उपलब्ध कराने एवं आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए आदेश (अंग्रेजी में) सम्बन्धित न्यायालय से प्राप्त करें। यदि पेज/पोस्ट हिन्दी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषा में हो तो उसके साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न करना चाहिए जिससे फेसबुक टीम को विषय की गम्भीरता से परिचित कराया जा सके।

(स) प्राप्त आदेश की प्रति स्कैन करें और कवरिंग पत्र के साथ records@fb.com, jwu@fb.com तथा प्रतिलिपि दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार की मेल आईडी ddgds-dot@nic.in पर भेजें। ध्यान रहे कि सभी पत्राचार अंग्रेजी में किये जायें क्योंकि फेसबुक सर्वर अमेरिका में स्थित है।

(द) फेसबुक से क्रिएशन तथा लॉग-इन विवरण प्राप्त होने पर IP एड्रेस के इण्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) से कनेक्टिविटी (Connectvity) विवरण प्राप्त करें। मोबाइल/लीज्ड लाइन अथवा साइबर कैफे से कनेक्ट होने की स्थिति में उपभोक्ता विवरण तथा उसके काल डिटेल्स के आधार पर उसकी पहचान का प्रयास करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही करें। यह कार्य करने के लिए प्रत्येक जनपद में कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(इ) फेसबुक से किये जा रहे समस्त पत्राचार (ई-मेल द्वारा) की प्रति सर्ट-इन (computer emergency response team - India) ई-मेल आईडी (incident @ sert-in.org.in) पद भी की जाए।

मैं आशा करता हूँ कि क्राइम ब्रान्च में गठित साइबर सेल में प्रशिक्षित अधिकारी/ कर्मियों का उपयोग करके आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अग्रसक्रिय निगरानी रखेंगें और आवश्यकतानुसार आपत्तिजनक प्रोफाइल/पेज को विलोप करने व ऐसे साइबर अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही करेंगें।

भवदीय,

5-8-13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद(नाम से),
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

6/8/13